

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O, BENGALURU –560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 978 /Type Approval No.: 978

नवीकरण सं./Renewal No.: 02 / संशोधन सं./Amendment No.: 02 विषय/Sub: काट्रिज स्क्विब केबल कटर 20मिमी सीएफ टाइप 4, पार्ट सं.: 312के/36

Cartridge Squib Cable Cutter 20mm CF Type 4, Part No.: 312K/36

यह घोषित किया जाता है कि आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ए आर डी ई), डी आर डी ओ, पाषाण, पुणे-411 021, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा प्रारंभ में उत्पादित और वर्तमान में ऑर्डिनेन्स फैक्टरी, खमरिया, जबलपुर – 482 005, द्वारा उत्पादित "काट्रिज स्क्विब केबल कटर 20मिमी सीएफ टाइप 4", पार्ट सं.312के/36, को निर्धारित कंपोनेंट बिल्ड स्टैंडर्ड (एसीबीएस) दस्तावेज़ सं. एआरडीई/1803, दिनांक: 19/03/2020, के अनुसार और आर सी एम ए (एए) पुणे द्वारा अनुमोदित तकनीकी विनिर्देश सं. एआरडीई/एसपीईसीएन/209 एंड 210 और क्वालिफिकेशन टेस्ट आवश्यकताओं के अनुकूल वर्ग अनुमोदित किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उड़नयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट-ए/ प्रारंभिक टीए दस्तावेज में विवरित किया गया है।

This is to state that "Cartridge Squib Cable Cutter 20mm CF Type 4", bearing Part No.: 312K/36 designed, developed and initially manufactured by Armament Research & Development Establishment (ARDE), D.R.D.O, Pashan, Pune – 411 021 and presently being manufactured by Ordnance Factory, Khamaria, Jabalpur-482005 is hereby Type Approved/Renewed as per the Approved Component Build Standard (ACBS) vide document No. ARDE/1803 dated: 19/03/2020 and conforms to Technical Specification No.: ARDE/SPECN/209&210 and Qualification Test Requirements approved by RCMA (AA), Pune. The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A/ initial TA documents.

यह अनुमोदन निबंधन और शर्तों के अधीन तथा पृष्ट के दूसरी ओर उल्लेखित संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01/08/2020 से 31/07/2025 तक) पाँच वर्ष के लिए वैध है।

This approval is valid for a period of five years from the date of issue/ renewal (from 01-08-2020 to 31-07-2025) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.

सं. /No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टीए//TA-978

दिनांक / Date: \ August 2020 फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

ए. पी. वी. एस. प्रसाद /A.P.V.S. Prasad उत्कृष्ट वैज्ञानिक/Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) / Chief Executive (Airworthiness)

Format as per: eElMLAC/TCS/5070, dated: 22nd March 2019